(घ) वर्ष 1996-97 में इस पद में कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(ड) सरकार विश्वविद्यालयों और कॉलजों में खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठा रही है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैंनिया) : (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 207 विश्वविद्यालय और 9278 कालेज है जिनमें 64.26 लाख छात्रों का नामांकन है।

(ग) इस उद्देश्य के लिए 12 विश्वविद्यालयों और 49 कालेजों को 1,47,49,052/- रु. की राशि प्रदान की गई।

(घ) 1.00 करोड़ रु.

(ड) युवा कार्य और खेल विभाग विश्वविद्यालयों और कालेजों में खेल के आधारभूत ढांचे के विकास के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को एक मुश्त अनुदान राशि प्रदान करता है। इस उद्देश्य के लिए चिकित्सा, इंजीनियरिग और कृषि कालेजों/ विश्वविद्यालयों को सीधे ही यह विभाग ऐसे अनुदान प्रदान करता है। भारतीय विश्वविद्यालय संघ अन्तर्विश्वविद्यालय टूर्नामेंट और प्रशिक्षण कैम्पों को आयोजित करने के लिए आवश्यक अनुदान भी प्रदान करता है। प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विश्वविद्यालयों को नगद पुरस्कार प्रदान किये जाते है और इन सब में विजयी विश्वविद्यालय को मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्राफी दी जाती है। विश्वविद्यालय और कालेज स्तरों पर खेलकूद में भाग लेने के लिए छात्रों को प्ररित करने के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा 6,000/- रु. प्रति वर्ष की दर से 300 खेल प्रतिभा पुरस्कार छात्रवृतियां प्रदान की जाती है।

Monitoring of Progress of Literacy Campaigns

800. DR. MOHAN BABU: Wll the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) how national level monitoring is done to assess the progress of literacy campaigns in the country;

(b) whether Government would organise workshop on monitoring and management of literacy campaigns, post literacy programmes and continuing education in Hyderabad to impart proper training;

(c) if so, the details thereof; and

(d) if not, by when they propose to do so?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF EDUCATION IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI MUHI RAM SAIKIA): (a) The progress of literacy campaigns in the country is monitored at the national level by the Directorate of Adult Education, New Delhi functioning under the aegis of National Literacy Mission Authority. Each District implementing literacy campaign, is required to furnish a monthly report to the State Directorate of Adult Education in a two-page proforma which has been designed by the National Literacy Mission to capture essential statistical information on the status and progress of a campaign in a District. The State Directorates of Adult Education hold a monthly monitoring meeting of all the Secretaries of Zilla Saksharata Samitis when the information furnished by each District in the prescribed proforma is discussed and consolidated and reports from all the Districts are consolidated to prepare a state level report. The State Directorates send the consolidated reports for each month to the Central Directorate at New Delhi which in turn, consolidates and prepares a national level report on quarterly basis with the aid of computers. The reports prepared by the Central Directorate are presented and discussed in the meetings of the Executive Committee of National Literacy Mission Authority Besides the periodical reports, EC NLMA also gathers feed-back from the field visits of its Members, Consultants and NLM officials to monitor the progress of literacy campaigns.

(b), (c) & (d) Workshops for training and orientation of literacy funcionaries in the States implementing literacy campaigns, post literacy and continuing

education programmes are regularly organised by the State Resource Centres for Adult Education located in respective States. Besides such workshops, National Literacy Mission also organises, from time to time, Training-cum-Orientation Workshops in collaboration with State Directorate of Adult Education and State Resource Centres depending upon the training needs in a State. A Regional Workshop *op.* Continuing Education was jfjanssed by the National Literacy Mission in collaboration with the State Directorate of Adult Education, Andhra Pradesh on 26—28th June, 1996 at Hyderabad for the Southern States.

केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों के लिए एक पृथक वेतन बोर्ड का गठन

801. **श्री गोविन्दराम मिरी**: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन के किसी शिक्षक संघ ने केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों के लिए एक पृथक वेतन बोर्ड के गठन की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैंकिया) :

(क) जी, हां।

(ख)केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों के लिए एक अलग वेतन बोर्ड स्थापित करना व्यवहार्य नही पाया गया क्योकि एक रुपता और सामंजस्य सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय विद्यालय संगठन भारत सरकार द्वारा निर्धारित वेतनमानों को अपन्मता है।

दिल्ली पब्लिक स्कूलों की लेखा परीक्षा

802. **श्री राजनाथ सिंह**:
श्रीमती मालती शर्मा :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क)क्या यह सच है कि दिल्ली पब्लिक स्कूल की शाखाएं दिल्ली, नई दिल्ली, नोएड़ा और अन्य स्थानों पर खोली गयी है और इन स्कूलों द्वारा चन्दों के नाम पर भारी धनराशि इकटठी की जा रही है और वे सरकार के समक्ष अपनी वास्तविक आय प्रकट नही कर रहे है;

(क)क्या सरकार को पिछले तीन वर्षो के दौरान इन स्कूलों द्वारा अर्जित की गयी आय और अदा की गयी आयकर की राशि की जानकारी है और वास्तविक अर्जित की गयी आय और अदा किये गये आयकर की राशि का पता लगाने के लिये क्या इन स्कूलों के खातों की लेखा परीक्षा की गयी है; और

(ख)यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नही, तो क्या सरकार उनके विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई करने का विचार रखती है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैंकिया) : (क) से (ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली ने सूचित किया है कि नई दिल्ली में दिल्ली पब्लिक स्कूल सोसायटी द्वारा चलाए जा रहे तीन दिल्ली पब्लिक स्कूल है। उपर्युक्त सोसायटी नोएडा और देश के अन्य भागों में भी स्कूल चला रही है। दिल्ली के स्कूल दिल्ली सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है तथा दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम/ नियमावली, 1973 के अधीन नियंत्रित किए जाते है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने सूचित किया है कि दिल्ली में स्कूलों के परीक्षित विवरण के अनुसार इन स्कूलों द्वारा कोई आयकर नही दिया जाता।

राज्यों में चलाए जा रहे स्कूल उनके सम्बंधित अधिनियमों/ नियमावली द्वारा विनियमित किए जाते है।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन खेल नियंत्रण बोर्ड

803. **श्री शिव चरण सिंह** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि खेल नियंत्रण बोर्ड केन्द्रीय विद्यालय संगठन के अधीन खेल गतिविधियों की निगरानी रखने और उनके विकास के लिए कार्यरत है;

(ख) यदि हां, तो इसके गठन के लिए मंजूरी किसके द्वारा दी गयी और कब दी गयी;

(ग) पिछले तीन वर्षो के दौरान बोर्ड द्वारा प्राप्त की गयी और खर्च की गयी धनराशि का वर्षवार ब्यौरा क्या है और इसके आय के स्रोतों का ब्यौरा क्या है;